

<p>दिनांक</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>14.12.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकेन उपस्थित। विप्रार्थीगण की ओर से जवाब पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना की खसरा संख्या 65, 66 व 88 रकबा क्रमशः 08.6249, 02.8454 व 0.1012 प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की है उक्त भूमि रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से विप्रार्थीगण बिना विविध बंटवाडा किये मौके पर पक्का निर्माण करने एवं अजनबी क्रेतागण को बेचान कर प्रार्थी द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि पर उन्हें काबिज करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। जबकि संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक भूभाग पर प्रत्येक खातेदार का हक निहित होता है। अतः विप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे और मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकारत की हैं। प्रार्थी वकील का कथन सही है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक भाग पर हक निहित होता है, किन्तु किसी एक पक्ष को, उसके स्थगन के जरिये उसके खातेदारी हकों के उपयोग-उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। विप्रार्थीगण भी प्रार्थी के साथ विवादित भूमि के सहखातेदार होने से अपनी हिस्से की भूमि पर माफिक वाहमी बंटवाडा एवं कब्जाकारत विकास कार्य करने की अधिकारिता रखते हैं। तथा विप्रार्थीगण विवादित भूमि में सहखातेदार होने से उन्हें जरिये स्थगन पाबंद किया जाता है तो न्याय की मंशा के विपरीत होगा। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा माफिक हक हिस्सा अपनी भूमि का विकास एवं उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी का यह कथन सही है कि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक होता है और कोई भी पक्ष किसी विशिष्ट भूभाग का हस्तांतरण नहीं कर सकता, किन्तु अपने वास्तविक हिस्सों की सीमा तक भूमि का बेचान किये जाने से उसे प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थगन के जरिये अपने हिस्से की भूमि का विकास करने से रोका जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होते हैं और किसी एक पक्ष को उसके स्वत्व के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 06.07.2023 व 29.09.2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।</p>	<p></p>

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

